न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

प्रकरण संख्या 40 / 11 तारीख रजू 01 / 11 / 2011

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर। –सायल(प्रार्थी)

बनाम

श्री रामकेश उर्फ मोटा पुत्र रामजीलाल जाति माली उम्र 40 साल निवासी मीना मोहल्ला मिर्जापुर थाना गंगापुर सिटी। —–गेर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग–पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

निर्णय

दिनांक– 13-4-18

पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल(अप्रार्थी) श्री रामकेश उर्फ मोटा पुत्र रामजीलाल जाति माली उम्र 40 साल निवासी मीना मोहल्ला मिर्जापुर थाना गंगापुर सिटी के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल(अप्रार्थी) के विरूद्व पुलिस थाना गंगापुर सिटी मे निम्न अभियोग पंजीवद्व होना बताया है।

क.स.	मुकदमा नम्बर	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	फैसला
1	753 / 10	18 / 11 / 10	13 आरपीजीओ	369	22 / 11 / 10	100 रू के अर्थदण्ड से दण्डित
2	767 / 10	25 / 11 / 10	13 आरपीजीओ	396	30 / 11 / 10	100 रू के अर्थदण्ड से दण्डित

उक्त पंजीवद्व आपराधिक प्रकरणो मे बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय मे चालान पेश किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों में गैरसायल को अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया है। गैर सायल श्री श्री रामकेश उर्फ मोटा पुत्र रामजीलाल जाति माली उम्र 40 साल निवासी मीना मोहल्ला मिर्जापुर थाना गंगापुर सिटी का निवासी है। जो बचपन से लिखपढ नहीं पाया और कस्बा गंगापुर सिटी के बदमाशान के साथ उठ बैठ कर शराब पीना,जुआ खेलना, बीडी पीना सीख गया इस कारण बूरी आदतो में पड जाने के कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिये नगर पालिका क्षेत्र गंगापुर सिटी में रहने वाले नागरिको को सट्टा लगाई वाली करने पर पाबन्द करने लग गया और स्वयं खाईवाली करने लग गया। जिसके खिलाफ थाना पर 10 माह की अवधि में हस्ब जेल अभियोग थाना हाजा दर्ज हुए है। नगर पालिका क्षेत्र में इस प्रकार खुले आम सट्टे की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

खाईवाली करने से नगर पालिका क्षेत्र गंगापुर सिटी में रहने वाली आम जनता के जीवन के लिये एवं शान्ति व्यवस्था के लिये पूर्ण रूपेण खतरा बन गया है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट,चार्जशीट प्रतियां प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिषक व असालतन उपस्थित होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

गैरसायल के खिलाफ वर्तमान में पुलिस थाना गंगापुर सिटी में 2 मुकदमें दर्ज है एवं समस्त मुकदमें में सबंधित न्यायालय द्वारा गैर सायल को अर्थदण्ड से दण्डित किया हुआ है। इस प्रकार गैरसायल से आमजन का परिवार संकट में पड़ गया है। गैरसायल सम्पूर्ण समाज के लिए खतरनाक हो चुका है। जिसकी खतरनाक प्रवृति को देखकर कोई भी व्यक्ति अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट व गवाही देने से डरता है । ऐसी स्थिती में गैरसायल का इलाका थाना में रहना आमजन के लिए परिसंकटमय हो गया है।अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

विद्वान वकील गैर सायल ने जवाब मे अंकित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि पुलिस ने गलत तथ्यो के आधार पर गेर सायल के विरूद्व इस्तगासा पेश किया है जो ड्राप किये जाने योग्य है। पुलिस ने गैरसायल के विरूद्ध राजनैतिक द्वेषता व रंजित वंश मुकदमे दर्ज कराये गये थे। सायल ने उक्त इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अर्न्तगत प्रस्तुत किया है। जबकि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धरा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि सायल द्वारा इस्तगासा पेश करने से पूर्व छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध कारित करते हुए पाया जाना आवश्यक है। जबकि गैरसायल के खिलाफ केवल दो मुकदमें ही दोष सिद्ध हुए है। अतः उक्त इस्तगासा प्रारम्भ से ही शून्य है, साथ ही वकील गैरसालय ने गैरसायल खिलाफ प्रस्तुत किये गये अभियोग पत्र मे कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गेर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भली भांती अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पंहुचा हु कि सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में गैरसायल के विरूद्ध 2 मुकदमें जर्द होना बताया है तथा उक्त दो मुकदमों में गैरसायल को अर्थदण्ड से दण्डित किया हुआ है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धरा 3 में स्पष्ट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

प्रावधान है कि सायल द्वारा इस्तगासा पेश करने से पूर्व छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध कारित करते हुए पाया जाना आवश्यक है। लेकिन पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार गैरसायल तीन मुकदमों में दोष सिद्ध नहीं होना पाया जाता है। इस प्रकार छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध सि़द्व न होने के कारण गैरसायल गुण्डा की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायल द्वारा गैरसायल के खिलाफ प्रस्तुत किया गया अभियोग –पत्र अस्वीकार किया जाकर गैरसायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 75 की कार्यवाही ड्राप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.4.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर